

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in
सं०-राज/बाड-40/सिअर्थ-20

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhapura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202
दिनांक. 27-03-2018

प्रेषित श्री नारायण सिंह राठौड पुत्र श्री जालम सिंह राठौड.
ग्राम एवं पोस्ट- बुद्धा तला, भियाड
तहसील- शिव
जिला- बाडमेर 344001

विषय: राजस्थान राज्य के बाडमेर जिले में स्थित आपकी मोखाब(अमर सिंह की ढाणी) सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 4.9 हैक्टेयर (ML .64/2013) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 17.02.2018 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने **खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017** के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(2)	As per table given under para 4(i){Geology & Exploration chapter} of approved Mining Plan , it is proposed to drill 2(two) bore hole of each 10 mts depth for exploration purpose during the Ist year i.e for 2016-17, But during the field visit it is observed that till date only one bore hole has been drilled.
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एवं पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे हैं तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, तो उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
45(5)(b)	Every holder of a mining lease shall submit online monthly returns before the tenth day of every month in respect of preceding month. But till date online monthly returns from April 2017 and onwards have not been submitted..

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
- 2) निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- 3) गार्ड फाईल

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो